न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 2/2023
जीसीएमएस नं. 2023/15

दायर दिनांक 06.02.2023
निर्णय दिनांक 28.05.2025

उनवान

1. श्री वेलजी पिता कानजी मीणा, निवासी भटवाडा फला हीराखेडी तहसील साबला, जिला डूंगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री रामसिंह पिता किशोर सिंह राजपूत निवासी भटवाडा तहसील साबला जिला डूंगरपुर।
2. श्रीमति प्रेमकुंवर पत्नि रामसिंह निवासी भटवाडा तहसील साबला जिला डूंगरपुर।
3. तहसीलदार साबला जिला डूंगरपुर।

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – 1. महेश जैन, अधिवक्ता – अपीलाण्ट
2. श्री संजीव भटनागर, अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट्स

–:निर्णय:–

दिनांक –28.05.2025

1 .अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पाडेण्ट सं 1 व 2 एक ही गावं के होकर दोनो की कृषि भूमि पास–पास है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने दिनांक 24.11.21 को मिसल न. 493 द्वारा fraud & misrepresentation कर मौजा भटवाडा का खसरा न. 512 मे से 0.2022 है0 कृषि भूमि का आवंटन प्रशासन गांवो के संग अभियान में करवा लिया। तत्कालीन आवंटन कमेटी तथा रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 एवं तत्कालीन पटवारी ने आवंटन नियमों

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

का उल्लंघन करके आवंटन के लिये अनुपलब्ध भूमि का आवंटन गलत रूप से कर दिया। आवंटन प्रार्थना पत्र पर तारीख अंकित नहीं है तथा सत्यापन का पैराग्राफ खाली है, जिससे साफ

प्रतीत होता है कि आवंटन कमेंटी ने रेस्पोडेण्ट को अनुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से आवंटन नियमो का उल्लघंन कर रेस्पोडेण्ट को गलत रूप से भूमि आवंटन की हैं।

वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी और उसका परिवार काबिज होकर काश्त कर रहा है। इस कारण वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जा सकता था और न वादग्रस्त भूमि आवंटन के लिये खाली भूमि की श्रेणी में ही आती थी। अतः रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन निरस्त योग्य हैं । रेस्पोडेण्ट को कभी भी वादग्रस्त भूमि का भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया, कब्जा सुपुर्दगी का पर्चा एवं रसीद में तारीखों एवं अन्य काट–छाट की गई है तथा यह भी अंकित नहीं है कि किस व्यक्ति के समक्ष कब्जा सुपुर्द किया गया। अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा वह उसकी निरन्तर पेनल्टी भी भरता रहा है।

अपीलाण्ट एवं उसकी पत्नी ने वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन किया था किन्तु पटवारी ने रेस्पोडेण्ट से मिलीभगत कर गलत और स्वविरोधाभासी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें क्रम सं. 13 में उक्त भूमि को सडक से निर्धारित दूरी पर होना अंकित किया तथा क्रम स. 22 अपने तरीके से नई अंकित कर दी और लिख दिया कि मौके पर विवादित है एवं सडक सीमा में हैं। एक ही खसरा नम्बर के लिये अलग अलग व्यक्तियों के लिये जानबूझ कर अलग अलग रिपोर्ट, रेस्पोडेण्ट को अनुचित लाभ पहुॅचाने एवं प्रार्थी को क्षति पहुॅचाने की नीयत से की गई। रेस्पोडेण्ट स. 1 व 2 को कथित रूप से आवंटित भूमि का आवंटन के पूर्व किसी प्रकार का उद्घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया जबकि नियमों के अन्तर्गत उद्घोषणा पत्र जारी किया जाना था। वादग्रस्त भूमि का आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है तथा नियमों के विपरीत जो भी आवंटन किया गया होता है वह काबिले निरस्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट स. 1 व 2 के पक्ष में मौजा भटवाडा का खसरा न. 512 मे से 0.2022 है0 कृषि भूमि का आवंटन प्रशासन गांवो के संग अभियान में किया गया, को निरस्त किया जाने के आदेश फरमावें।

2 रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि खसरा न. 512 रकबा 0.2022 हे0 पर रेस्पोडेण्ट का पुराना कब्जा काश्त था जिस आधार पर प्रशासन गांवो के संग अभियान में नियमानुसार वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्ट को आवंटित की गई है। आवंटन के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। अपीलाण्ट ने अपनी दखास्त में fraud & misrepresentation कैसे व किस प्रकार हुआ के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रशासन गांवो के संग अभियान में दिनांक 24.11.21 को आवंटन

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

कमेंटी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट का पुराना कब्जा एवं काश्त और पेनेल्टी रसीदो को देख नियमानुसार भूमि रेस्पोडेण्ट को अपीलाण्ट व समस्त गांव वासीयों के सामने आवंटित की है। रेस्पोडेण्ट ने आवंटन के समय किसी प्रकार कोई आपत्ति अथवा विरोध नहीं किया।

वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का कभी कब्जा नहीं रहा, वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्ट के कब्जे काश्त में थी जिस पर बरसौ से पेनल्टी भर काबिज चले आ कर निरन्तर उडद एवं तिल की खेती करते आ रहे है तथा आज भी कर रहे है। वादग्रस्त भूमि के उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम दिशा तरफ रेस्पोडेण्ट का पत्थरों का परकोटा बना हुआ है, तथा दक्षिण तरफ रेस्पोडेण्ट के खाते का खसरा न. 511 की भूमि जूडी हुई है। रेस्पोडेण्ट द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना में भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

3. हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।

4. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने दिनांक 24.11.21 को मिसल न. 493 द्वारा fraud & misrepresentation कर मौजा भटवाडा का खसरा न. 512 मे से 0.2022 है0 कृषि भूमि का आवंटन प्रशासन गांवो के संग अभियान में करवा लिया। तत्कालीन आवंटन कमेटी तथा रेस्पोडेण्ट स. 1 व 2 एवं तत्कालीन पटवारी ने आवंटन नियमों का उल्लंघन करके आवंटन के लिये अनुपलब्ध भूमि का आवंटन गलत रूप से कर दिया।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी और उसका परिवार काबिज होकर काश्त कर रहा है। इस कारण वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जा सकता था और न वादग्रस्त भूमि आवंटन के लिये खाली भूमि की श्रेणी में ही आती थी। अतः रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन निरस्त योग्य हैं । रेस्पोडेण्ट को कभी भी वादग्रस्त भूमि का भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलाण्ट एवं उसकी पत्नी ने वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन किया था किन्तु पटवारी ने रेस्पोडेण्ट से मिलीभगत कर गलत और स्वविरोधाभासी रिपोर्ट प्रस्तुत कि, जिसमें कम सं. 13 में उक्त भूमि को सडक से निर्धारित दूरी पर होना अंकित किया तथा कम स. 22 अपने तरीके से नई अंकित कर दी और लिख दिया कि मौके पर विवादित है एवं सडक सीमा में हैं। एक ही खसरा नम्बर के लिये अलग अलग व्यक्तियों के लिये जानबूझ कर अलग अलग रिपोर्ट, रेस्पोडेण्ट को अनुचित लाभ पहुँचाने एवं प्रार्थी को क्षति पहुँचाने की नीयत से की गई। रेस्पोडेण्ट

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

स. 1 व 2 को कथित रूप से आवंटित भूमि का आवंटन के पूर्व किसी प्रकार का उद्घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया जबकि नियमों के अन्तर्गत उद्घोषणा पत्र जारी किया जाना था। वादग्रस्त भूमि का आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है तथा नियमों के विपरीत जो भी आवंटन किया गया होता है वह काबिले निरस्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट स. 1 व 2 के पक्ष में मौजा भटवाडा का खसरा न. 512 मे से 0.2022 है0 कृषि भूमि आवंटन को निरस्त किया जाने के आदेश फरमावें।

5. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट स. 01 व 02 की ओर से अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा न. 512 रकबा 0.2022 हे0 पर रेस्पोडेण्ट का पुराना कब्जा काश्त था जिस आधार पर प्रशासन गांवो के संग अभियान में नियमानुसार वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्ट को आवंटित की गई है। आवंटन के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। अपीलाण्ट ने अपनी दखास्त में fraud & misrepresentation कैसे व किस प्रकार हुआ के सम्बन्ध में कोई तथ्य नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। प्रशासन गांवो की तरफ अभियान में दिनांक 24.11.21 को आवंटन कमेटी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट का पुराना कब्जा एवं काश्त और पेनेल्टी रसीदो को देख नियमानुसार भूमि रेस्पोडेण्ट को अपीलाण्ट व समस्त गांव वासीयों के सामने आवंटित की है। रेस्पोडेण्ट ने आवंटन के समय किसी प्रकार कोई आपत्ती अथवा विरोध नहीं किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा बहस में आगे निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का कभी कब्जा नहीं रहा, वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्ट के कब्जे काश्त में थी जिस पर बरसौ से पेनल्टी भर काबिज चले आ कर निरन्तर उडद एवं तल की खेती करते आ रहे है तथा आज भी कर रहे है। रेस्पोडेण्ट द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना में भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

6. **हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।** पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड/दस्तावेज का ध्यायनपूर्वक अवलोकन किया। प्रशासन गांव के संग अभियान— 2021 अन्तर्गत दिनांक 24.11.2021 को मिसल न. 493/2021 द्वारा मौजा भटवाडा खसरा न. 512 में से रकबा 0.2022 हे0 भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी श्री रामसिंह पिता श्री किशोर सिंह, प्रेमकुंवर पत्नि रामसिंह को आवंटित हुई। आवंटित आराजी का न. 648/512 रकबा 0.2022 हे0 दर्ज हुआ। अपीलाण्ट द्वारा आवंटित आराजी पर स्वंय का कब्जा काश्त होना एवं आवंटी द्वारा fraud/Misreprasent से आवंटन कराना के आधार यह अपील प्रस्तुत कर आवंटन निरस्त कराने का निवेदन किया है। अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वंय के कब्जा काश्त के सम्बन्धित कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा आवंटन को fraud/Misreprasent होना बताया है जबकि नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत ऐसा आवंटन जो कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा कराया हो या नियम विरूद्व किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो तो इस प्रकार के आवंटन को नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आवंटन fraud/Misreprasent होना सावित होता हो।

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना, विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं होना, आवंटी द्वारा fraud/Misreprasent द्वारा आवंटन कराना तथा सुर्पुदगी नहीं किया जाना, एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो के पालना नहीं किया जाना अकंन किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्रो के कथनों में सम्बन्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं।साथ ही अपीलाण्ट की ओर से अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में एवं बहस में दी गयी दलीलों की पुष्टि में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त साबित होता है। अपीलाण्ट की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है यह कैसे माना जा सकता है कि अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा आवंटन को fraud/Misreprasent होना बताया है जबकि नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत ऐसा आवंटन जो कपट अथव मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा कराया हो या नियम विरूद्व किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो, इस प्रकार के आवंटन को नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिसके आधार पर आवंटन fraud/Misreprasent होना सावित होता हो। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार के पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल न 493/2021 दिनांक 24.11.2021 को मौजा भटवाडा की आराजी नम्बर 512 में से नवीन आराजी नं. 648/512 रकबा 0.2022 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 और 2 आवंटन की गयी भूमि के आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

दिनेश धाकड़
जिला कलक्टर, डूंगरपुर

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
डूंगरपुर